

2019/514

फर्द अहकाम

मूल-चर्च बनाम जगतकुंडी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
सिविल वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 274/11

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>रजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणित प्रति के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को उक्त वाद गत भूमि के सम्बन्ध में अपना उत्तराधिकारी माना है - यही प्रतिवादी संख्या 1 फोटो हो गयी है। प्रतिवादी सं. 1 के फोटो होने पर रजिस्टर्ड वसीयत का प्रामाण्य पर प्रार्थी उक्त वाद गत भूमि का हित बड़े व आवश्यक पश्चात् हो गया है जिसे पश्चात् बनाया जाता है। उचित प्रतीक होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 0.12.16 वी. सी. सी. वि. ज. का प्रार्थी को कलक्टर प्रतिवादी सं. 4 के रूप में पश्चात् सम्प्रोक्षित विषय होने के कारण दिखे जाते हैं। वसीयतवादी को संशोधित उत्तर पत्र को की दिशा पर ही जमाना पत्रावली दिनांक 15.11.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रि. 6) सहायक कलक्टर बस्सी जिला पंजाब</p>	
4/11/18	<p>पत्रावली उपरोक्त प्रार्थना का पेश होने पर नम्बर पर ली गयी। वही विषय उपरोक्त वादी को संशोधित वसीयत की शर्तों पर शर्तों को वसीयतवादी ने प्रमाणित करने का विषय दिखे जाते हैं। पत्र का पेश किया/उक्त पत्रावली पर वसीयतवादी को मुता गयी</p>	<p>प्रि. 2/11/18</p> <p>I. S.</p>

